जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर

(वाणिज्य विभाग)

क्र./जो.वि.वि.नि.लि./अ.अ. (वाणिज्य) /सी–1/पत्रा 2041 प्रे.सं. जोधपुर दिनॉक 8/2/2002

आदेश

विषय :– कृषि विद्युत कनेक्शन की जॉंच के दौरान बढ़े हुए भार की गणना के सम्बन्ध में ।

कृषि विद्युत कनेक्शन की जॅांच के दौरान प्रारम्भिक अवस्था में कुओं के बढ़े हुए जल स्तर/मोटर अथवा पम्प में छोटी तकनीकी खराबी अथवा नजदीकी स्टेन्डर्ड रेटिंग को मध्य नजर रखते हुए तत्कालीन रा.रा.वि.म. के आदेश सख्या 674 दिनांक 26.06.1998 (REA-124) एवं आदेश सख्या 51 दिनांक 22.06.2000 (कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश तृतीय संस्करण) के अन्तर्गत स्वीकृत भार से 20% तक बढ़े हुए भार के लिये कोई विजिलेन्स चार्जेज नहीं लिये जाने का प्रावधान है। इससे अधिक होने पर बढ़े हुए भार के लिये की जाने वाली गणना सम्बन्ध में समन्वय समिति की 36वीं बैठक दिनांक 02.02.2002 में चर्चा दौरान लिये गये निर्णयानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार 20% से अधिक पाये जाने पर सम्पूर्ण अतिरिक्त भार (20% तक बढ़े हुए भार को सम्मिलित करते हुए) को विजिलेन्स चार्जेज की गणना हेतु बढ़ा हुआ माना जायेगा। 20% तक बढ़े हुए भार पर प्रदत्त राहत यथावत जारी रहेगी ।

उदाहरण :–

"निरीक्षण दौरान 10 एच.पी. मोटर का भार 15 एच.पी. पाये जाने पर विजिलेन्स चार्जेज की गणना हेतु बढ़ा हुआ भार 5 एच.पी. (15-10=5) माना जायेगा तथा 12 एच.पी. तक भार पाये जाने पर कोई विजिलेन्स चार्जेज देय नहीं होगा।"

आज्ञा से

(ओ.पी.माथुर)
अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य)
जो.वि.वि.नि.लि., जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।:–

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सधा–जोधपुर जोन/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्काम,जोधपुर /बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी/वित्तिय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
5. उपमुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं सधां/पी.पी. एण्ड एम/पदार्थ प्रबन्ध/एम एण्ड पी/बी एफएल)जोधपुर,डिस्कॉम,जोधपुर/पाली बीकानेर/बाड़मेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सधां./एम. एम./अकेंक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
8. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
10. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (पी.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (विधि/एम. आई. एस./आन्तरिक अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
12. अधिशाषी अभियंता (पवस/ग्राविनि) जोधपुर डिस्काम, ————को अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित.
13. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम/ अजमेर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अवलोकनार्थ ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
15. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

(एन.एम. सिंघवी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर